

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक ६१८६/NR-१०

भोपाल, दिनांक ०५/०७/२०१२

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र.,
जिला पंचायत – पन्ना
मध्यप्रदेश

विषय :- जिला स्तर पर कुल उपलब्ध राशि की ऑनलाईन रिपोर्ट में त्रुटि के संबंध में।


संदर्भ:- जिपं पन्ना का पत्र क्र. 1771/MIS/ZP/2012, पन्ना, दिनांक 07/06/12

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें; जिला पन्ना में अन्य प्राप्ति में 23685.88 लाख डीपीसी लेबल में भारत सरकार के पोर्टल www.nrega.nic.in पर कुल उपलब्ध राशि प्रतिवेदित की गई थी। आपके द्वारा उक्त अप्रिय स्थिति निर्मित होने से राज्य स्तर पर उपलब्ध राशि में अत्यधिक वृद्धि हुई।

भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कि जिला स्तर पर कुल उपलब्ध राशि में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिये। समस्त क्रियान्वयन एजेंसी को प्राप्त राशि, प्रारंभिक शेष एवं अन्य प्रपत्तियों में तथा कुल उपलब्ध राशि में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिये। अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

अतः यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न हो, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


प्रमुख सचिव
26/6


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठ ६१८७/NR-१०

भोपाल, दिनांक ०५/०७/२०१२

प्रतिलिपि:- ६

- कलेक्टर्स, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ।


प्रमुख सचिव
26/6

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग